वीरांगना रानी अवन्तीबाई लोधी राजकीय महिला महाविद्यालय

बरेली उ0प्र0

(शिक्षा,संस्कार और अनुशासन का उत्कृष्ट संस्थान)

परिचय

संस्थाएं सपनों को साकार करने का आधार होती हैं यह नगर का वह परिक्षेत्र होती हैं।जहाँ से बौद्विक परिलब्धियों के क्षितिज में ज्ञान विज्ञान की किरणें प्रस्फुटित होती है। उच्च शिक्षा के असीम प्रवाह में ज्ञान की किरण के रूप में राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली की स्थापना उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 1 जुलाई 1996 को बरेली शहर के हृदय पटल पर की गयी थी। यह महाविद्यालय बालिकाओं की उच्च शिक्षा के एक आदर्श संस्थान के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। यह महाविद्यालय असीम सम्भावनाओं एवं संस्कारों की सुदृढ़ आधारशिला के रूप में बरेली जनपद में नारी शिक्षा के विकास के पथ पर अग्रसर हैं ं।

वर्तमान समय में महाविद्यालय में कला/विज्ञान संकाय के अर्न्तगत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं एवं वाणिज्य संकाय के अर्न्तगत स्नातक कक्षाएं संचालित की जा रही है। महाविद्यालय का सुविधा सम्पन्न एवं गरिमामय भवन 5.415 एकड़ की परिधि में फैला है महाविद्यालय का शिक्षक समुदाय योग्यता एवं अध्यापन के दीर्घ अनुभवों को संजोए विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने हेतु प्रतिबद्ध है ।

<u>महाविद्यालय के विभिन्न संकाय एवम् विषय</u>

(कला संकाय)–<u>स्नातक स्तर</u>

1.हिन्दी 2.अंग्रेजी 3.संस्कृत 4.राजनीतिशास्त्र 5.अर्थशास्त्र 6.समाजशास्त्र

.7.इतिहास 8.भूगोल 9.गृहविज्ञान10. मनोविज्ञान 11.संगीत(गायन) 12.चित्रकला

(कला संकाय)–<u>स्नातकोत्तर स्तर</u>

1.समाजशास्त्र 2.राजनीतिशास्त्र 3.गृहविज्ञान 4.संगीत(गायन)

(विज्ञान संकाय)–<u>स्नातक स्तर</u>

1.जन्तु विज्ञान 2.वनस्पति विज्ञान 3.रसायन विज्ञान 4.भौतिक विज्ञान 5.गणित

(विज्ञान संकाय)–<u>स्नातकोत्तर स्तर</u>

1.वनस्पति विज्ञान

(वाणिज्य संकाय)–<u>स्नातक स्तर</u>

1.वाणिज्य

शिक्षणेत्तर एवम पाठ्यक्रमे सहगामी गतिविधियाँ एवम् सुविधाएं

1.रेंजर्स दलः—उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार भारत स्काउट एवम गाइड की छात्रा इकाई के रूप में महाविद्यालय में रेंजर्स दल का प्रतिवर्ष गठन किया जाता है । इसके अर्न्तगत विभिन्न निर्धारित गतिविधियों का संचालन कर छात्राओं में अनुशासन,स्वावलम्बन एवं जन सेवा की भावना विकसित करने का प्रयास किया जाता है । वर्तमान समय में महाविद्यालय में दो इकाई संचालित है।

2.शारीरिक शिक्षा एवम् खेलकूदः—महाविद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु खेलकूद की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं । महाविद्यालय में वालीबाल, बैडमिंटन, टेनिस, एथलेटिक्स एवं अन्य खेलों की सुविधा उपलब्ध है । महाविद्यालय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त विभिन्न खेलो में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताओं हेतु भरपूर अवसर प्रदान किए जाते है।

3.**राष्ट्रीय सेवा योजनाः**—महाविद्यालय में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईयाँ संचालित है । छात्राओं को समाज से जोडने एवं श्रम के महत्व को स्वीकार करते हुए जागरूक बने रहने के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना का द्विवर्षीय कार्यक्रम पूर्ण करती हैं । जिसके अर्न्तगत दिवसीय एवं विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है।

4.**सांस्कृतिक परिषदः**—छात्राओं की नैसर्गिक प्रतिभा को उजागर करने के लिए महाविद्यालय में विभागीय परिषदों के साथ साथ एक सांस्कृतिक परिषद का भी गठन किया गया है । शैक्षणिक सत्र में समय समय पर लेखमाला, भाषण, वाद विवाद, निबन्ध, नारा लेखन, पोस्टर, कुकिंग, सुगम संगीत, नृत्य , फैन्सी ड्रेस,नाटक, पुष्प सज्जा आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर छात्राओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित की जाती है । सत्र के मध्य में महाविद्यालय स्तर पर **सांस्कृतिक महोत्सव उमंग** का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं को प्रतिभा प्रकट करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं । छात्राओं में उद्यमिता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से **युवा महोत्सव** के दौरान उद्यमिता मेला **अवन्तिका** का आयोजन अर्न्तमहाविद्यालयी स्तर पर किया जाता है। वर्ष में विभिन्न राष्ट्रीय दिवस, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करते हुए सत्रान्त में वार्षिकोत्सव एवं अलंकरण समारोह का आयोजन कर महाविद्यालय की मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है।

5.**प्रॉक्टोरियल बोर्डः**—महाविद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाता है । प्रॉक्टोरियल बोर्ड कालेज में अनुशासन हेतु प्रतिबद्व है । समस्त छात्राओं को प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

6.**कैरियर काउन्सलिंग एण्ड प्लेसमैन्ट सैल** :— उ0प्र0 श्रम विभाग के सौजन्य से सेवायोजन कार्यालय, बरेली द्वारा महाविद्यालय को काउन्सलिंग केन्द्र के रूप में चुना गया है । प्रतिवर्ष छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ कैरियर सम्बन्धी दिशा निर्देश प्रदान करते है । प्रत्येक सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर से सम्बन्धित कार्यशालाएं आयोजित कर छात्राओं को रोजगार संम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं महाविद्यालय छात्राओं के प्लेसमैन्ट के लिए प्रयासरत् है।

7.**आन्तरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठः**—महाविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता लाने एवम् उन्नयन करने हेतु आन्तरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

8.**शिकायत निवारण प्रकोष्ठ** :—महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्राओं की समस्याओं को सुनकर उनका उचित समाधान करने हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

9.**पुरातन छात्रा परिषद** :—पुरातन छात्राओं का सम्बन्ध संस्था से बना रहे इस उद्रेदश्य से पुरातन छात्रा परिषद का गठन किया गया है महाविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में पुरातन छात्राओं की सहभागिता भी रहती है ।

10.**अभिभावक प्राध्यापक परिषद** :—महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के अभिभावकों से संवाद स्थापित कर उनके सुझावों का महाविद्यालय विकास में लाभ लेने के उदेदश्य से परिषद का गठन किया गया है।

11.**साइकिल स्टैन्ड** :—महाविद्यालय में साइकिल स्टैन्ड की सुविधा उपल्ब्ध है छात्राओं को अपनी साइकिल स्टैन्ड पर खड़ी करना अनिवार्य है। महाविद्यालय भवन के आस पास साइकिल ले जाना निषिद्ध है।

12.**इको— रेस्टोरेशन क्लबः**—छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से इको—रेस्टोरेशन क्लब की स्थापना की गयी है । क्लब का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति सचेत रहना, परिसर को हरा भरा रखना अधिक से अधिक वृक्ष लगाना तथा उनका रखरखाव है ।

13.**कम्प्यूटर कक्षः**—महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष अवस्थित है जिसमें ब्राड बैण्ड, इण्टरनेट की सुविधाएं उपलब्ध है ।

14.**महिला प्रकोष्ठ एवं आन्तरिक परिवाद समितिः**—महिला महाविद्यालय होने के कारण नारी सशक्तिकरण पर चिन्तन करने हेतु छात्राओं एवं प्राध्यापिकाओं के सहयोग से महिला प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है । महाविद्यालय में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संम्बन्धी निवारण हेतु आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है ।

15.**छात्र संघः**—छात्र संघ गठन के सन्दर्भ में उ0 प्र0 शासन के द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जाता है

16. **पुस्तकालयः**— सभी विषयों से सन्दर्भित ज्ञान की अभिवृद्वि हेतु महाविद्यालय में पुस्तकालय हैं प्रवेश के उपरान्त प्रत्येक छात्रा को 15 दिन के लिए दो पुस्तके निर्गत कराने का प्रावधान है । छात्रायें INFLIBNET के माध्यम से ई—पुस्तकों का अध्ययन कर सकती हैं।

17..**वाचनालय** :—महाविद्यालय में छात्राओं में पठन पाठन की अभिरूचि विकसित करने एवं समय के सृजनात्मक उपयोग के लिए एक वाचनालय है । हिन्दी एवं अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों के अतिरिक्त प्रतिष्ठित पाक्षिक /मासिक पत्रिकाएं एवं प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित पत्रिकाएं उपलब्ध रहती है ।

19.**बेवसाइट** :—महाविद्यालय की सभी जानकारियां छात्राओं तक पहुँचाने हेतु महाविद्यालय की बेवसाइट www.ggpgcvral.org. क्रियाशील है ।

20.<u>शोध</u> :–महाविद्यालय में अंग्रेजी ,संस्कृत् एवं समाजशास्त्र विषयों में प्राध्यापकों द्वारा शोध निर्देशन किया जाता है ।

21.<u>राजर्षि टंडन</u>:–महाविद्यालय को सत्र 2015–16 से राजर्षि टंडन मुक्त महाविद्यालय इलाहाबाद का अध्ययन केन्द्र बनाया गया है इसके अर्न्तगत महाविद्यालय में M.A(Sanskit), M.A(Social Works),M.Com,BLIS,DECE,DHENपाठयक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

22.<u>छात्रा कक्ष</u> :–महाविद्यालय में छात्राओं के खाली वादनों में बैठने हेतु गर्ल्स कामन रूम की व्यवस्था भी उपलब्ध है ।

23.<u>सीसीटीवी कैमरा</u> :–छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय में सीसीवीटी कैमरों की व्यवस्था है ।

24.<u>राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान</u> :–महाविद्यालय में रूसा योजना के अन्तर्गत अवस्थापना /पुर्ननिर्माण एवं शैक्षणिक विकास हेतु अनुदान प्राप्त हो रहा है तथा प्राप्त अनुदान से एम0 एससी0 वनस्पति विज्ञान हेतु कक्षा एवं प्रयोगशाला का निर्माण प्रकियाधीन है। पुर्ननिर्माण के अन्तर्गत अन्य कार्यों के साथ– साथ स्मार्ट कक्षा की स्थापना की गयी है।

<u>प्रवेश प्रकिया / प्रवेश नियम</u>

<u>नोट विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में सत्र 2019–2020 की ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया लागू किये जाने के फलस्वरूप महाविद्यालय में एमए /एमएससी प्रथम वर्ष तथा बीए /बीएससी /बीकाम प्रथम वर्ष के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रणाली एवमं नियमों के अनुसार ही किए जाएंगें । विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही प्रवेश प्रकिया सम्पन्न की जायेगी ।</u>

<u>प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व प्रवेश सम्बन्धी नियम एवमं निर्देश का विस्तुत अध्ययन कर लें ।</u>

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय की बेवसाइट www.ggpgcvral.org पर **<u>ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र</u>** भरना होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

1–प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली तथा उत्तर प्रदेश शासन के मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2– सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश आवेदन पत्र **<u>ऑनलाइन</u>** भरना अनिवार्य है।

3– अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे ।

4– महाविद्यालय के प्रत्येक पाठयक्रम में प्रवेश योग्यता (प्राप्तांको के प्रतिशत) के आधार पर किये जाएंगे। छात्राओं का प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण मानकों के अनुसार होगा।

5– प्रवेश देने का पूर्णाधिकार प्रवेश समिति तथा प्राचार्य का है। विशेष परिस्थितियों में प्रवेश को बिना कारण बताए अस्वीकार /निरस्त किया जा सकता है।

6– शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश कार्य पूर्ण एवं वैध माना जायेगा । शुल्क जमा हो जाने के उपरान्त इसकी वापसी सम्भव नहीं होगी।

7– पाठयक्रम् के अनुसार ही आवेदन करना अनिवार्य है।

8–स्नातकोत्तर /स्नातक स्तर पर इच्छित विषय/ संकाय में प्रवेश की इच्छुक छात्राओं को पाठयक्रम के अनुसार ही आवेदन पत्र (प्रवेश की समय सीमा की अवधि के अन्दर)जमा करना होगा ।

9–स्नातक / स्नातकोत्तर पाठयक्रम के किसी वर्ष में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को अगली कक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

10–एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में छात्राओं का पारस्परिक स्थानान्तरण केवल समान कक्षा में विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात ही सम्भव होगा स्थानान्तरण कराए जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए छात्रा को दोनों संस्थाओं के प्राचार्यो से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा यह सुविधा केवल एक बार ही अनुमन्य होगी, परन्तु शुल्क का हस्तान्तरण नहीं होगा ।

11– किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अथवा वि0 वि0 परीक्षा में सम्मिलित न होने पर उसे पुनः उसी कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं दिया जाएगा । किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुई छात्रा को परीक्षा सुधार में सम्मिलित होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा , अर्थात प्रवेश के समय छात्रा पाठयक्रम हेतु अर्ह होनी चाहिए।

12–अनुशासनहीनता के लिए दण्डित तथा रैगिंग करने की दोषी अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

13–प्रवेशार्थी को स्नातक की परीक्षा अधिकतम 6वर्ष की अवधि में तथा स्नातकोत्तर की परीक्षा अधिकतम 4 वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी होगी ।

14–स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो सम्बन्धित विषय जिसमें प्रवेश वांछित है उसमें भी कम से कम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति /जनजाति के अभ्यर्थियों जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया हो , के लिए नियमानुसार 5 प्रतिशत प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात उनके लिए अर्हता 40 प्रतिशत होगी ।

15– स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है ।

16– बी काम प्रथम वर्ष में प्रवेश सामान्यतः उन छात्राओं को दिए जाएंगे जिन्होनें इण्टमीडियट अथवा समतुल्य परीक्षा वाणिज्य से उत्तीर्ण की हो। यदि स्वीकृत सीटों के सापेक्ष कुछ सीटें रिक्त रह जाती है । तो शेष सीटों पर अन्य वर्ग (गणितसहित) एवं गणित की छात्राऐं उपलब्ध न होने पर अर्थशास्त्र विषय से इण्टर उत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश दिया जाऐगा ऐसी छात्रायें जिन्होनें इण्टरमीडियट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य ,कृषि से उत्तीर्ण की हो तथा बीए में प्रवेश चाहती हों उनके 5 प्रतिशत अंक घटाकर योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा निर्धारित सीमा के अन्दर ही प्रवेश अनुमन्य होंगे ।

17–महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में निर्धारित सीटों पर प्रवेश योग्यता सूची के अनुसार ही किये जायेंगे **अतः किसी प्रकार का कोई बाहा दबाब न बनाया जाय।**

18– परास्नातक कक्षा में प्रवेश योग्यता सूची छात्रा के स्नातक स्तर पर तीनों वर्षो के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोडकर) तथा जिस विषय में प्रवेश चाहती हो ,उस विषय के प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक को सम्मिलित करते हुए तैयार की जाएगी महाविद्यालय में किसी भी कैजुअल प्रवेश की व्यवस्था नहीं है ।

19– अभ्यर्थी को दूसरी कक्षा में दो वर्ष से अधिक गैप होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

20–प्रवेश के लिए योग्यता सूची तैयार करते समय विश्वविद्यालय नियमानुसार अंतराल (गैप) के अंक घटाकर प्रवेश योग्यता सूची तैयार की जायेगी ।

21–प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान कर प्रवेश योग्यता सूची तैयार की जायेगी ।

भारांक विवरण :–

(1)राष्ट्रीय तथा अन्तरविश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भागीदारी व विशिष्ट उपलब्धि	10 अंक
(2)विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
(3) विश्वविद्यालय सम्बद्व महाविद्यालय के सेवानिवृत/सेवारत कर्मचारियों के पुत्र /पुत्री /पति/पत्नी हेतु	10 अंक
(4) एन.सी.सी के "C"प्रमाण पत्र अथवा"B"प्रमाण पत्र + "G-IInd" प्रमाण पत्र	10अंक
(5)एन.सी.सी के"B"प्रमाण पत्र+ "G-Ist" प्रमाण पत्र	05 अंक
(एक अधिकतम)	
(6) एन. एस. एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घण्टें की सेवाएं	10 अंक
(7) एन. एस. एस. का एक शिविर व 240/120 घण्टे की सेवाएं	05 अंक
(एक अधिकतम)	
(8) 12 वीं कक्षा स्तर पर स्काउट गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
(9) प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
(10) भारत के राष्ट्रपति /उपराष्ट्रपति /प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
(11) रोवर्स / रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

नोट : किसी भी दशा में छात्रा को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेगें

<u>आरक्षण सम्बन्धी नियम एवं निर्देश (उ. प्र. शासन के नियमानुसार)</u>

1–उ0 प्र0 की अनुसूचित जाति – उपलब्ध सीटों का 21 प्रतिशत

2–.उ0 प्र की अनुसूचित जन जाति –उपलब्ध सीटों का 02 प्रतिशत

3–.उ0 प्र0 की अन्य पिछड़ा वर्ग – उपलब्ध सीटों का 27 प्रतिशत

क्षैतिज आरक्षण

1–दिव्यांग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्व में शहीद हुए रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र /पुत्रियों को प्रत्येक पाठयक्रमानुसार सम्बन्धित सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण मान्य होगा । भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रवेश में क्रमश: 03 प्रतिशत ,02 प्रतिशत तथा 01 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था उ0 प्र0 के स्थायी रूप से निवासियों हेतु की गयी है । अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु पाठयक्रम में 05 प्रतिशत स्थान मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी के अर्न्तगत निर्धारित होंगी ।

<u>2–उ. प्र. शासन के निर्देशानुसार अन्य देय **क्षैतिज** आरक्षण के अर्न्तगत मेरिट निर्धारित होगी ।</u>

विषय चयन सम्बन्धी निर्देश

विश्वविद्यालय नियमानुसार विषयों का चयन निम्नवत् होगा |

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठयक्रम में प्रवेश योग्यतानुसार किया जाएगा ।
2. प्रवेश समिति की बैठक में संकायाध्यक्षों की संस्तुति के आधार पर विज्ञान एवं कला संकाय के विषय का अनुमोदन किया गया तदनुसार महाविद्यालय में निम्न समूह (ग्रुप)हैः

Aबायोग्रुप–(क)जन्तु विज्ञान (ख)वनस्पति विज्ञान (ग) रसायन विज्ञान

B मैथ्सग्रुप –(क)भौतिक विज्ञान(ख)रसायन विज्ञान(ग)गणित

कला संकाय के अर्न्तगत विषय संयोजना निम्नवत होगी ।

1–बी.ए.प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में से एक विषय लेना अनिवार्य है।

2–अभ्यर्थी अधिकतम दो साहित्यिक विषयों का चयन कर सकता है, महाविद्यालय में तीन साहित्यिक विषय हैं- हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत । महाविद्यालय स्तर पर अभ्यर्थी अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों में से एक साहित्य का चयन कर सकता है।

3–(a) अभ्यर्थी महाविद्यालय में संचालित प्रायोगिक विषयों में से अधिकतम दो विषयों का चयन कर सकता है। महाविद्यालय में गृहविज्ञान,चित्रकला,संगीत(गायन),मनोविज्ञान एंव भूगोल प्रायोगिक विषय हैं।

(b) महाविद्यालय स्तर पर चित्रकला या संगीत में से एक विषय, गृहविज्ञान या मनोविज्ञान में से एक विषय तथा इतिहास या भूगोल में से एक विषय लिया जा सकता है । 4–.अभ्यर्थी अर्थशास्त्र,समाजशास्त्र,राजनीतिशास्त्र एंव इतिहास विषय में से अधिकतम दो विषयों का चयन कर सकता है।

5–अनिवार्य विषय पर्यावरण की परीक्षा स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में संस्थागत छात्रों के लिए अनिवार्य है अनुत्तीर्ण होने की दशा में तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा।

6.–स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में तीनों संकायों तथा तीनों वर्षो में लेना व उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।

टिप्पणीः–स्नातक स्तर पर प्रयोगिक विषयों का चुनाव करते समय उन्ही छात्राओं को वरीयता प्रदान की जाएगी जिनके पास इण्टरमीडिएट स्तर पर वह विषय हो ।

उपलब्ध सीट :

- A- कला संकाय– स्नातक स्तर– 720
- B- कलासंकाय–स्नातकोत्तर स्तर–
  (1) राजनीतिशास्त्र–60 (2)गृहविज्ञान–60 (3)संगीत(गायन)–60 (4) समाजशास्त्र–60
- C- विज्ञान संकाय–स्नातक स्तर–(1) बायो ग्रुप–80 (2)मैथ्स ग्रुप– 80
- D- विज्ञान संकाय–स्नातकोत्तर स्तर–(1) वनस्पति विज्ञान– 30
- E- वाणिज्य संकाय –स्नातक स्तर– 160

प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ

स्नातकोत्तर स्तर–एमए / एम.एस.सी.प्रथम वर्ष तथा स्नातक स्तर–बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.काम **प्रथम वर्ष** में प्रवेश विश्वविद्यालय के कार्यक्रमानुसार ।

स्नातकोत्तर स्तर–एमए / एम.एस.सी.**द्वितीय वर्ष** तथा स्नातक स्तर– बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.काम **द्वितीय वर्ष** व **तृतीय वर्ष** की कक्षाओं में प्रवेश, अकंतालिका निर्गत तिथि से 7 दिन के भीतर

<u>प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र संलग्न करें</u>

1. हाईस्कूल मार्कशीट व प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति ।
2. इण्टमीडिएट मार्कशीट व प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
3. स्थानातरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) की प्रमाणित छायाप्रति । (केवल नवीन प्रवेश हेतु)
4. यदि आरक्षण चाहते है तो आरक्षित श्रेणी(जाति) के प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।
5. यदि भारांक चाहते है तो उससे सम्बन्धित प्रमाण प्रत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।
6. यदि गैप (अन्तराल) हो तो गैप हेतु हस्तलिखित शपथ पत्र ।
7. सी. बी. एस. सी अथवा आई. सी. एस. ई बोर्ड से हों तो माइग्रेशन की छायाप्रति ।
8. आधार कार्ड की छायाप्रति ।
9. बैंक पास वुक की छायाप्रति ।
10. शुल्क लाभ लेने हेतु आय प्रमाण प्रत्र की छायाप्रति लगाना आवश्यक है ।
11. वोटर कार्ड की छायाप्रति(यदि निर्गत हो तो) ।
12. स्नातकोत्तर द्वितीयवर्ष, बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.काम द्वितीयवर्ष व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश हेतु परीक्षा–2019 की अकंतालिका की छायाप्रति ।
13. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम ,द्वितीय व तृतीय वर्ष की अकंतालिकाओं की छायाप्रतियां ।

काउंसिलिंग /प्रवेश साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

1–हाईस्कूल मार्कशीट व प्रमाण पत्र की मूलप्रति

2–इण्टरमीडिएट मार्कशीट व प्रमाण पत्र की मूलप्रति

3–स्थानातरण प्रमाण पत्र (टीसी) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सीसी) की मूलप्रति

4–आरक्षित श्रेणी (जाति) का मूल प्रमाण पत्र

5– भारांक से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र

6–शुल्क लाभ लेने हेतु मूलआय प्रमाण प्रत्र

प्रवेश संस्तुत होने की दशा में तुरंत शुल्क जमा करें । शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश कार्य पूर्ण व वैघ माना जायेगा । नियत समय से शुल्क न जमा करने पर सीट योग्यता सूची के अनुसार अन्य को दे दी जायेगी । शुल्क का विवरण सूचनापट/महाविद्यालय की बेवसाइट www.ggpgcvral.org पर देखे ।

महाविद्यालय से सम्बन्धित सभी सूचना एवं निर्देश

प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनाएं जैसे साक्षातकार की तिथि व समय,स्थान,ज्येष्ठता सूची,प्रतीक्षा सूची ,प्रवेश की अन्तिम तिथि आदि महाविद्यालय के सूचनापट पर देंखे।

2–समय से सही सूचना प्राप्त करना प्रवेशार्थी का स्वयं का दायित्व होगा ।

3–साक्षात्कार के समय नियत तिथि पर पूर्वाहन्न 11.00 बजे से 02.00 बजे तक प्रवेशार्थी मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होगा । नियत तिथि पर उपस्थित न होने की दशा में प्रवेश सम्भव नहीं होगा ।

4–साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अकंतालिकाऐं,टी.सी.,चरित्र प्रमाणपत्र,जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, वोटर कार्ड की छायाप्रति (यदि निर्गत हो तो) आदि समिति के समक्ष प्रस्तुत करनें होगें ।

शुल्क सम्बन्धी निर्देश

1–प्रवेश संस्तुत हो जाने पर तुरन्त शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त हो जायेगा । एक बार शुल्क जमाहोने पर किसी भी स्थिति में शुल्क वापसी सम्भव नहीं होगी ।

2–शुल्क केवल महाविद्यालय की बेवसाइट www.ggpgcvral.org पर उपलब्ध PAYMENT GATE WAY के माध्यम से ONLINE ही जमा करना होगा । अन्यथा किसी भी माध्यम से जमा नहीं किया जायेगा ।

1–.सभी कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जायेगें ।

2–.स्नातकोत्तर द्वितीय बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश परीक्षाफल घोषित होने पर अकंतालिका निर्गत तिथि से 7 दिन के अन्दर लेना होगा । प्रवेश सूचनाएं महाविद्यालय सूचनापट पर चस्पा की जायेगीं ।

मेरिट सूची बनने के बाद कोई भी प्रवेश आवेदन पत्र स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देश

1–सत्र 2019–20 अद्यतन व्यवस्था से ऑनलाइन भरे जायेगे। समय से आवेदन भरा जाना छात्राओं का दायित्व होगा । छात्राएं छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारियों हेतु उ0 प्र0 शासन की बेवसाइट देखते रहें ।

2–उत्तर प्रदेश / भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीनतम शासनादेशो के आधार पर ही पात्र छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेंगी ।

3–शासन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी एक ही योजना का लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था है ।

4–शासन के आदेशों के अनुसार छात्रवृत्ति सम्बन्धी योजनाओं हेतु संचालित व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है ।

5–.छात्रवृत्ति सम्बन्धी योजना का लाभ लेने हेतु छात्राएं पूर्व में ही बरेली जनपद स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक की सी. बी. एस. शाखा में खाता स्वयं खुलवा लें तथा सामान्य निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र,व आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा निर्गत) भी बनवा लें अन्य कोई आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।

अनुशासन सम्बन्धी निर्देश

रैगिंग एक चेतावनी –महाविद्यालय में रैगिंग उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया प्रतिबन्धित /निषिद्व है । यदि कोई छात्रा रैगिंग में संलिप्त पायी गयी तो उसके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

1–अनिवार्य एक रूपी परिधान :– छात्राओं में समरूपता एवम् समभाव पैदा करने के उददेश्य से परिधान निर्धारित किया गया है । सफेद सलवार कमीज के साथ लाल टाइ एवं डाइ का दुपटटा तथा शीतकाल में काला /नैवी ब्लू स्वेटर महाविद्यालय का निर्धारित परिधान है महाविद्यालय में चूड़ीदार पैजामी परिधान के अर्न्तगत मान्य नही होगा । निर्धारित परिधान पहनकर आना अनिवार्य है ।

2–.विश्वविद्यालय नियमानुसार कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।

3–.महाविद्यालय परिसर में यूनीफार्म में आना अनिवार्य है ।

4–.महाविद्यालय परिसर में मोबाइल लाना निषेघ है ।

5–.महाविद्यालय परिसर में अपना परिचय पत्र रखना अनिवार्य है ।

6–.सामान्यतया महाविद्यालय परिसर में किसी बाहा व्यक्ति का प्रवेश निषेघ है ।

नोट

1–महाविद्यालय में गतिविधियों /आवश्यक सूचना हेतु सूचनापट का अवलोकन अवश्य करते रहें ।

2–छात्राएं प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्रवेश प्रभारी / प्रवेश समिति से सम्पर्क करें ।